

छत्तीसगढ़ शासन
पुलिस विभाग

पुलिस थाना - राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो/एन्टीकरण ब्यूरो छत्तीसगढ़ रायपुर।

दिनांक - 13/02/15 के 14.25 बजे.

तलाशी के समय उपस्थित रहने और गवाही देने के लिये गवाहों को बुलाने का आदेश पत्र

(धारा 160 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

नाम गवाहन :-

Legin
13/2/15

1. जगन् कुमार श/0 श्री कुजोरु राम उम 42 वर्ष
सहायक प्राध्यापक. शास. महाविद्यालय पाटन जिला दुर्ग
घर - प्लॉट - 19, विधेक नगर रिसाली जिला - दुर्ग

Arjun
13/2/15

2. अजय कुमार तिवारी श/0 स्व. श्री एन. एन. तिवारी उम
50 वर्ष स्व. वसुधा तिवारी शास. उच्च मा. विद्यालय जेन - 2
जेनक 11 दुर्ग घर - प्लॉट 3/B, स. इ. 15, सेक्टर 01
मिलाड

मैं अधोहस्ताक्षरकर्ता पुलिस अधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत निम्न स्थान की तलाशी लेने वाला हूँ साक्षी स्वरूप आपका वहाँ उपस्थित रहना आवश्यक है।

अतएव दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन मैं आदेश देता हूँ कि आप उक्त तलाशी की गवाही के लिये मेरे समक्ष निम्नलिखित स्थान पर उपस्थित हों :-

स्थान :-

नागरिक आपूर्ति विभाग नागलिय अवंति बिहार
दिलवादा परिसर रायपुर

तारीख :- 13/02/2015

13/2/15
हस्ताक्षर एवं पद
(*विजय चंद्र*)
रायपुर

नोट :-

इस आदेश की अवहेलना भारतीय दण्ड विधान की धारा 186 के अधीन दण्डनीय अपराध है।

सत्यापित प्रति
स. डी. देवस्थल
निरीक्षक (एस.डी. देवस्थल)
रायपुर (छ.ग.)